

प्रेस नोट दिनांक-16.10.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी शराब 243 लीटर व अंग्रेजी शराब 35.250 लीटर कुल 278.250 लीटर के साथ एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली:- श्री आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में शराब तस्करों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.10.2024 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आलमपुर नहर पुलिया वाले मार्ग से समय करीब 13.30 बजे चेकिंग के दौरान तथा एक आटो वाहन संख्या UP67BT2013 पर लदे 27 पेटी विन्डसर टेट्रा पैक (प्रति पेटी 45 टेट्रा पैक मात्रा प्रत्येक का 200 एम0एल0) व 100 टेट्रा पैक आफिसर च्वाईस अंग्रेजी शराब मात्रा प्रत्येक का 180 एम0एल0 तथा 11 बोतल रायल स्टेग मात्रा 750 एम0एल0 व 24 बोतल रायल स्टेग अंग्रेजी शराब मात्रा 375 एम0एल0 कुल शराब की मात्रा देशी शराब 243 लीटर व अंग्रेजी शराब 35.250 लीटर टोटल योग 278.250 लीटर के साथ तस्कर राहुल कुमार पुत्र लालचन्द्र निवासी ग्राम वार्ड नं0 6 बिछड़ी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में जानकारी मिली कि बरामद शराब को गंजी प्रसाद तिराहे के पास अंग्रेजी व देशी शराब की दुकान से लेकर बिहार पहुँचाने जा रहा था। उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति द्वारा भुआ बिहार पहुँचाने के लिये कहा गया और बताया कि वहाँ एक आदमी को फोन करके बतायेंगे जो कि तुमसे शराब ले लेगा और तुम्हें पैसा दे देगा। साहब इस धंधे में मुझे काफी पैसा मिल जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त- राहुल कुमार पुत्र लालचन्द्र निवासी ग्राम वार्ड नं0 6 बिछड़ी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण- 1.मु.अ.सं. 272/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी- एक आटो वाहन संख्या UP67BT2013 पर लदे 27 पेटी विन्डसर टेट्रा पैक (प्रति पेटी 45 टेट्रा पैक मात्रा प्रत्येक का 200 एम0एल0) व 100 टेट्रा पैक आफिसर च्वाईस अंग्रेजी शराब मात्रा प्रत्येक का 180 एम0एल0 तथा 11 बोतल रायल स्टेग मात्रा 750 एम0एल0 व 24 बोतल रायल स्टेग अंग्रेजी शराब मात्रा 375 एम0एल0 कुल शराब की मात्रा देशी शराब 243 लीटर व अंग्रेजी शराब 35.250 लीटर टोटल योग 278.250 लीटर

बरामद शराब की अनुमानित कीमत (बिहार प्रान्त के अनुसार) करीब 150000/- रुपये आंकी गयी है।

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 2.उप निरीक्षक गोविन्द सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 3.उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 4.का0 सुधीर सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 5.का0 अनन्त सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चोरी के वाहन व मोबाइल के साथ 04 अभियुक्त किये गये गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चौरहट साहूपुरी रोड के पास से एक आटो ,एक स्कूटी व 10 मोबाइल फोन चोरी के साथ अभियुक्तगण 1. अरमान खाँ पुत्र सहाबुद्दीन नि. साकिन चौरहट थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र 19 वर्ष 2. चन्दन कुमार पुत्र पखन्डू निवासी चौरहट थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र 22 वर्ष 3. करन चौधरी पुत्र गोपाल निवासी ग्राम चौरहट थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र 21 वर्ष 4. बाबू चौरसिया पुत्र ज्ञानचन्द्र चौरसिया निवासी चौरहट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 29 वर्ष को आज दिनांक 16.10.2024 को समय करीब 03.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना स्थानीय द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर बता रहे है कि हम लोगो ने मिलकर स्कूटी को वर्ष 2020 में महमूरगंज से चोरी किये थे जो अरमान के घर रखी थी तथा आटो उपरोक्त को दिनांक 10.10.24 को रोडवेज वाराणसी से चोरी किये है जिसका स्वरूप बदल कर आज दोनों वाहनो को तथा हमलोग के पास जो भी मोबाइल फोन बरामद हुआ है वह सभी चोरी का है जिसे विभिन्न स्थानों से चोरी किये है जिसको बेचने के लिए हमलोग आज बिहार जा रहे थे।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.अरमान खाँ पुत्र सहाबुद्दीन नि. साकिन चौरहट थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र 19 वर्ष
2. चन्दन कुमार पुत्र पखन्डू निवासी चौरहट थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र 22 वर्ष
- 3.करन चौधरी पुत्र गोपाल निवासी ग्राम चौरहट थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र 21 वर्ष
- 4.बाबू चौरसिया पुत्र ज्ञानचन्द्र चौरसिया निवासी चौरहट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास-1. मु0अ0सं0- 428/24 धारा 317(4) BNS भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम मुगलसराय-

- 1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 2.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 3.उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 4.हे0का0 विनोद कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 5.हे0का0 अनिल कुमार अंचल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 6.हे0का0 मनीष सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 7.हे0का0 संतोष शाह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों से 03 मैजिक/पिकअप में कुल 24 गोवंश बरामद करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दो अभियोग पंजीकृत किया गया।

श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन पर जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में अपराधियों व गौ-तस्करों के विरुद्ध लगातार प्रचलित अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, राजेश राय, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में:-

1- आज दिनांक 16.10.2024 को थानाप्रभारी सैयदराजा मुकेश तिवारी की टीम के 30नि0 आफताब आलम मय हमराह को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो पिकअप में कुछ गोवंशों को क्रूरता पूर्वक बाँधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। इस प्राप्त सूचना पर उ.नि. आफताब आलम मय हमराह द्वारा एनएच 02 हाईवे पर रमऊपुर काला शहीद बाबा मजारे के पास घेराबन्दी कर चेकिंग प्रारम्भ की गई। चेकिंग के दौरान सामने से आ रही पिकअप वाहन संख्या यू.पी. 65 एन.टी 9349 की तलाशी के दौरान 08 गोवंशों (जिसमें 07 साड़ व 01 गाय) बरामद किया गया। गोवंश की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 180/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

2- पुनः इसी क्रम में कुछ समय पश्चात आज दिनांक 16.10.2024 को थानाप्रभारी सैयदराजा मुकेश तिवारी की टीम के 30नि0 आफताब आलम मय हमराह को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो पिकअप में कुछ गोवंशों को क्रूरता पूर्वक बाँधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। इस प्राप्त सूचना पर उ.नि. आफताब आलम मय हमराह द्वारा एनएच 02 हाईवे पर रमऊपुर काला शहीद बाबा मजारे के पास घेराबन्दी कर चेकिंग प्रारम्भ की गई। चेकिंग के दौरान सामने से आ रही पिकअप की तलाशी के दौरान 02 पीकअप वाहनो चेचिस न. क्रमशः (1. MAT535501RYE18962, 2.MAT535072MYA03228) से कुल 16 राशि गोवंश (जिसमें 07 राशि गाय, 04 राशि साड़, 02 राशि बछिया, 01 राशि बछड़ा, 02 राशि बैल) मय गोवंशों की बरामदगी करते हुए 03 शातिर गौ तस्करो को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 181/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु.अ.सं. 180/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा चन्दौली।

2. मु.अ.सं. 181/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा चन्दौली।

बरामदगी का विवरण:-

01 वाहन-

एक बोलेरो मैक्स पीकप (वाहन संख्या यू.पी. 65 एन.टी 9349)

08 गोवंश (07 राशि साड़ व 01 गाय)

02 वाहन-

दो पीकअप वाहन बिना नम्बर के

दो एन्ड्राइड मोबाइल व 4000 नगदी रुपया

16 राशि गोवंश (जिसमें 07 राशि गाय, 04 राशि साड़, 02 राशि बछिया, 01 राशि बछड़ा, 02 राशि बैल)

पुलिस टीम-

मुकेश कुमार तिवारी, प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली

उप निरीक्षक- आफताब आलम चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली ।

हे0का0 गया प्रसाद यादव थाना सैयदराजा चन्दौली ।

का0 शंकर राम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

